भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1893
गुरुवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान के अंतर्गत कार्य-निष्पादन

1893. श्री बसवराज बोम्मईः
श्री आलोक शर्माः
डॉ. हेमांग जोशीः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
डॉ. भोला सिंहः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री मनोज तिवारीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और जेवर विमानपत्तन जैसे नए लाइसेंस प्राप्त विमानपत्तनों को 'उड़े देश का आम नागरिक', (उड़ान) नेटवर्क में एकीकृत किया जाए ताकि मेट्रो हबों पर अधिक भार डाले बिना टियर-2 संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ान के नवीनतम चरणों के अंतर्गत प्रचालनात्मक सफलता दर के आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रचालनों में विलंब करने वाले प्रचालकों के लिए कार्य-निष्पादन की गारंटी लागू करने हेतु यदि कोई नए उपाय कार्यान्वित किए गए हैं/कार्यान्वित किए जा रहे हैं, तो वे कौन-कौन से हैं;

(घ) देश में उड़ान के तहत कवर किए गए वॉटर एयरोड्रोम और हेलीपोर्टों की संख्या में वृद्धि करने की महत्वाकांक्षा को किन कारकों से बढ़ावा मिल रहा है; और

(ङ) क्या वधावन पत्तन परियोजना जैसे हाल के घटनाक्रमों और राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नया विमानपत्तन स्थापित करने के प्रस्ताव पर कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-'उड़ान') एक बाजार संचालित योजना है जिसमें संपर्क प्रदान करने हेतु एयरलाइनों द्वारा बोली लगाने के लिए असेवित और अल्पसेवित हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों को सूचीबद्ध किया जाता है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय (जेवर) हवाईअड्डा ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे हैं, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरसीएस-'उड़ान' योजना के तहत असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया है।

दिनांक 30/11/2025 तक 651 मार्गों को प्रचालनरत किया गया है, जो देशभर में 15 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरोड्रोमों सहित 93 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ते

हैं। अब तक, 1.57 करोड़ से अधिक घरेलू यात्रियों ने 3.27 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में यात्रा की है। कार्य-प्रगति की समीक्षा करने और सही दिशा में सुधार करने के लिए नियमित आधार पर योजना की निगरानी की जाती है। निर्धारित समयसीमा के भीतर परिचालन शुरू करने में विफल रहने वाले चयनित एयरलाइन प्रचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं, और जानबूझकर चूक के मामलों में निष्पादन गारंटी/प्रस्ताव प्रतिभूति की जब्ती के साथ मार्गों को रद्द कर दिया जाता है।

भारत की व्यापक तटरेखा, नदियाँ और अंतर्देशीय जलस्रोत सीप्लेन कनेक्टिविटी विकसित करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों का दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण भूभाग हेलिकॉप्टर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को बढ़ाता है। इस क्षमता को स्वीकार करते हुए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने ‘उड़ान’ योजना के तहत हेलिकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं को शामिल किया है।

(ङ) : भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें एक उपयुक्त स्थान की पहचान करने और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करवाने तथा 'साइट क्लीयरेंस' के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार या किसी भी हवाईअड्डा विकासकर्ता से 'साइट क्लीयरेंस' की माँग संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****